प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 13.01.2026

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा सर्विलांस व मैनुअल इन्पुट की मदद से हत्या की घटना का 48 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण करते हुये घटना को अंजाम देने वाले 03 अभियुक्त को पुलिस मुठभेड/चेकिंग के दौरान किया गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 तमंचे व 02 खोखा कारतूस 315 बोर व मोटर साईकिल स्पलेण्डर प्लस रजि0नं0 UP14DN7289 बरामद।

दिनांक 10.01.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी मौ0 फैजान पुत्र मौ0 जहाँगीर निवासी वजीराबाद 9 नम्बर जमजम मेरीज होम वाली गली में दिल्ली द्वारा तहरीर दी गई कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के भाई सोफियान की हत्या कर देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर तत्काल धारा 103(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया तथा सीसीटीवी कैमरों व मैनुअल इनपुट के आधार पर अनावरण हेतु लगातार प्रयास किये गये।

दिनांक 12/01/2026 को पुलिस टीम द्वारा ठोकर नम्बर 9 पुस्ता रोड ट्रोनिका सिटी के सामने बैरियर लगाकर संघन चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान मुखबिर ने बताया कि कुछ दिन पहले सोफियान की हत्या के सम्बन्ध में आपके थाने पर जो मुकदमा लिखा है उससे सम्बन्धित 03 अभियुक्त अभी सोनिया विहार से ट्रोनिका सिटी की तरफ एक मोटर साईकिल से आने वाले हैं। यदि सतर्कता पूर्वक चैकिंग की जाये तो पकडे जा सकते हैं। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके पुलिस टीम को ब्रीफ करके सतर्कता पूर्वक बैरियर लगाकर चैकिंग प्रारम्भ की गयी। कुछ समय बाद मोटरसाईकिल पर 03 व्यक्ति आते हुये दिखायी दिये। पुलिस द्वारा सन्देह होने पर रोकने का प्रयास किया गया तथा तीनों व्यक्ति को घेरकर मौके पर ही पकड लिया लिया गया। अभियुक्तगण का नाम पता पूछा तो उनके द्वारा अपना नाम 1.संदीप बैसोया पुत्र धर्मवीर बैसोया निवासी गली नं0 13 मकान नं0 05 ,हनुमान चौक जगतपुर थाना वजीराबाद दिल्ली मूल पता ग्राम खडखडी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 32 वर्ष 2.दिव्याशुं उर्फ रौकी पुत्र मनोज कुमार निवासी राज कालोनी चमन विहार निकट जीतू का ऑफिस थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष 3.साहिल उर्फ बल्लू पुत्र मोईन शेख निवासी गली नं0 03 विजय विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष बताया, जिनको मौके पर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण से हत्या व आला कत्ल की बरामदगी हेतु पूछताछ की गयी तो अभियुक्त संदीप बैसोया व दिव्यांशु उर्फ रौकी ने बताया कि हमने दिनांक 06/01/2026 की शाम को सोफियान की हत्या करने के बाद जैन कालोनी हर्रमपुर वाले जंगल की झाडियो के अन्दर तमंचे को छुपा दिया था। अभियुक्तगण के बताये अनुसार जैन कालोनी हर्रमपुर वाले जंगल मे टंकी के पास सडक के किनारे बनी एक पुलिया के पास झाडियो के नजदीक पहुँचकर आला कत्ल को तलाश किया जा रहा था तभी अंधेरे का फायदा उठाकर अभियुक्तगण संदीप बैसोया व दिव्याशु उर्फ रौकी ने छुपाये तमंचे से पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में अभियुक्त संदीप बैसोया व दिव्यांशु उर्फ रौकी के पैर में गोली लग गई जिससे वह घायल हो गये। अभियुक्तगण संदीप बैसोया व दिव्यांशु उर्फ रौकी को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्तगण संदीप बैसोया, दिव्याशुं उर्फ रौकी, साहिल उर्फ बल्लू व मृत्तक सोफियान आपस में एक दूसरे को काफी समय से जानते है तथा एक दूसरे के परिचित है। अभियुक्तगण का मृत्तक सोफियान से काफी समय से रूपये के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था, अभियुक्तगण जब भी मृत्तक सोफियान से अपने दिये गये रूपये की मांग करते थे तो सोफियान उनके साथ गाली गलौज करता था तथा उनको जान से मारने की धमकी देता था। दिनांक 06/01/2025 को शाम के समय तीनों अभियुक्त के द्वारा लूट करने का बहाना बनाकर सोफियान को अपने साथ मोटरसाईकिल पर जैन कालोनी वाले जंगल हर्रमपुर के पास लेकर गये तथा मौका पाकर सोफियान के ऊपर तमचों से फायर कर दिया गया जिससे सोफियान की मौके पर मृत्यु हो गयी, उसके बाद तमंचो को वही पास में जंगल में छुपाकर सभी अभियुक्त भाग गये।

गिरफ्तार/वांछित अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.संदीप बैसोया पुत्र धर्मवीर बैसोया निवासी गली नं0 13 मकान नं0 05 ,हनुमान चौक जगतपुर थाना वजीराबाद दिल्ली मूल पता ग्राम खडखडी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 32 वर्ष

2.दिव्याशुं उर्फ रौकी पुत्र मनोज कुमार निवासी राज कालोनी चमन विहार निकट जीतू का आँफिस थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष

3.साहिल उर्फ बल्लू पुत्र मोईन शेख निवासी गली नं0 03 विजय विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

1. घटना में प्रयुक्त 02 तमंचे व 02 खोखा कारतूस 315 बोर
2. घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल स्पलेण्डर प्लस रजि0नं0 UP14DN7289

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त संदीप बैसोया के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर हत्या का 01 अभियोग, पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करने का 01 अभियोग, थाना लोनी पर हत्या का 01 अभियोग, अभियुक्त दिव्यांशु उर्फ रौकी के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर हत्या का 01 अभियोग, पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करने का 01 अभियोग, अभियुक्त साहिल उर्फ बल्लू के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर हत्या का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

साइबर सेल थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल 27,000/- रूपये की धनराशि वापस करायी गयी।

आज दिनांक 13.01.2026 को साइबर सेल थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदिका निवासी थानाक्षेत्र भोजपुर, गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल धनराशि कुल 27,000/- रूपये को आवेदिका को वापस कराया गया।

कार्यवाही का विवरणः-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना भोजपुर गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से आवेदिका के साथ 27,000 रूपये की ऑनलाइन ठगी (प्रार्थिनी को 30,000 /- रू. की फेक ट्रांजैक्शन का फोटो भेजकर आवेदिका से 27,000 रूपये की ठगी की गयी थी।) से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना भोजपुर, कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदिका के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद आज दिनांक 13.01.2026 को आवेदिका के साथ हुई साइबर फ्रॉड की कुल 27,000/- धनराशि को वापस कराया गया। आवेदिका व उनके परिजन द्वारा थाना भोजपुर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीमः-

साइबर सेल थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद।

दिनांक 12-01-2026 को श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी, पुलिस उपायुक्त ग्रामीण, कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में ग्रामीण जोन में नशा व सट्टा/जुआ के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना लोनी क्षेत्र में एसीपी लोनी व थानाध्यक्ष लोनी द्वारा पुलिस बल के साथ सर्च अभियान चलाया गया जिसमें 02 गांजा तस्कर व 04 जुआ खेलने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 05 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा व ताश के पत्ते, कुल 76490 रूपये बरामद हुए।

दिनांक 12-01-2026 को श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी, पुलिस उपायुक्त ग्रामीण, कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में ग्रामीण जोन में नशा व सट्टा/जुआ के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना लोनी क्षेत्र में एसीपी लोनी व थानाध्यक्ष लोनी द्वारा ग्रामीण जोन के अन्य थानों व थाना लोनी के कुल 50 पुलिस कर्मियों व एक प्लाटून पीएसी बल को साथ लेकर टीम गठित कर अपराधियों की धरपकड़ हेतु सर्च अभियान चलाया गया जिसमें पुलिस बल द्वारा घेराबंदी कर चेकिंग के दौरान अवैध गांजा की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्तों 1. विकास कुमार पुत्र देवी लाल निवासी बन्थला नहर के पास गैस प्लांट के सामने कच्ची कालोनी चौकी बन्थला लोनी थाना लोनी गाजियाबाद 2. जाकिर उर्फ़ मुन्ना पुत्र मुनफेद निवासी 30 फूटा रोड मुस्तफाबाद लोनी थाना लोनी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 05 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ तथा संगठित गिरोह बनाकर मकान में अवैध रुप से जुआ खेल रहे 04 अभियुक्तों 1. विजय कुमार पुत्र राकेश कुमार निवासी नाईपुरा थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद 2. प्रवेश उर्फ कालू पुत्र शिव कुमार निवासी लोनी तिराहा थाना लोनी गाजियाबाद 3. मौ0 सलीम पुत्र मेहबान अली निवासी इकराम नगर थाना लोनी गाजियाबाद 4. संदीप पुत्र सुरेन्द्र निवासी रूपनगर लोनी थाना लोनी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 52 ताश के पत्ते, माल फड से 75,600/- रूपये नगद व जमा तलाशी से 890/- रुपये नगद (कुल 76490/- रुपये) बरामद हुये। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धाराओं में

एनडीपीएस एक्ट व धारा-112 बीएनएस, 3/4 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किये गये। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम व पता -

1.विकास कुमार पुत्र देवी लाल निवासी बन्थला नहर के पास गैस प्लांट के सामने कच्ची कालोनी चौकी बन्थला लोनी थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 35 वर्ष
2.जाकिर उर्फ़ मुन्ना पुत्र मुनफेद निवासी 30 फूटा रोड मुस्तफाबाद लोनी थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष
3.विजय कुमार पुत्र राकेश कुमार निवासी नाईपुरा थाना लोनी बॉर्डर, उम्र करीब 36 वर्ष
4.प्रवेश उर्फ कालू पुत्र शिव कुमार निवासी लोनी तिराहा थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष
5.मौ0 सलीम पुत्र मेहबान अली निवासी इकराम नगर थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 45 वर्ष
6.संदीप पुत्र सुरेन्द्र निवासी रूपनगर लोनी थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 27 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

कब्जे से कुल 05 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा व 52 ताश के पत्ते, कुल 76490 रूपये बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत किये गये है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।